

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्ड पीठ****लखनऊ****रिट-सी संख्या -919 वर्ष 2026**

नेडा

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : ज्ञान चंद्र दुबे, राकेश कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता, रुबी चौधरी

**न्यायालय कक्ष संख्या - 3****माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ****माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला**

1. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी।
2. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई एक रिट याचिका है, जिसमें याचिकाकर्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के बचत बैंक खाते को फ्रीज करने की कार्रवाई से व्यथित है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इल्लिफतगंज शाखा, जिला अंबेडकरनगर में कार्यरत है।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. दस्तावेजों की जांच करने पर यह स्पष्ट है कि आज तक याचिकाकर्ता को इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि बैंक खाता क्यों फ्रीज किया गया है।

4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यह फ्रीजिंग गांधी नगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय मुख्यालय (एलएचओ) द्वारा सीआईडी क्राइम, गांधी नगर की साइबर क्राइम सेल द्वारा लिखे गए एक ई-मेल के आधार पर की गई है।

5. यह ध्यान देने योग्य है कि साइबर सेल से प्राप्त संचार में याचिकाकर्ता के खाते में जमा हुई राशि का उल्लेख नहीं है, और न ही इसमें आज तक कोई अन्य विवरण प्रकट किया गया है।

6. यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय की खंडपीठ ने 19 जनवरी, 2026 को रिट-सी संख्या 12211/2025 में पारित निर्णय और आदेश के माध्यम से, जिसका शीर्षक खालसा मेडिकल स्टोर (प्रोपराइटर यशवंत सिंह के माध्यम से) बनाम भारतीय रिजर्व बैंक (गवर्नर के माध्यम से) और अन्य है, साइबर अपराध के मामलों में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों को निर्धारित किया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

“12. उपर्युक्त उल्लिखित निर्णयों की श्रृंखला में दिए गए अनुपातों का गहन अध्ययन करने और विचाराधीन मुद्दे पर विचार करने के बाद, साइबर अपराध के संदेह में बैंक खाते को फ्रीज करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए जा सकते हैं:-

क. बीएनएसएस की धारा 106 की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए कि पुलिस अधिकारियों को मात्र संदेह के आधार पर संपत्ति जब्त करके धन विवादों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिले, बल्कि यह उचित विश्वास पर आधारित होनी चाहिए।

ख. जांच अधिकारी द्वारा बैंक खाता फ्रीज करने की सूचना लाभार्थी के बैंक या भुगतान सेवा प्रणाली (भुगतान एग्रीगेटर सहित) के नोडल अधिकारी को तुरंत भेजी जाएगी, ताकि वे अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकें। पुलिस अधिकारी को कथित अपराध से संबंधित जानकारी देनी होगी और साथ में एफआईआर या प्राप्त सूचना की प्रति संलग्न करनी होगी। यदि कोई शिकायत या एफआईआर की प्रति संलग्न नहीं है, तो बैंक या भुगतान प्रणाली संचालक (पीएसओ) की अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ग. बीएनएसएस की धारा 106 के तहत नोटिस में किसी विशिष्ट राशि (आरोपी के बैंक खाते से या उसमें कथित रूप से हस्तांतरित धन) पर ग्रहणाधिकार अंकित करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में पुलिस किसी भी बैंक या भुगतान प्रणाली संचालक (पीएसओ) जिसमें भुगतान एग्रीगेटर भी शामिल है, से पूरे वित्तीय खाते को ब्लॉक या निलंबित करने के लिए नहीं कह सकती है।

घ. किसी बैंक या किसी वित्तीय मध्यस्थ, जिसमें भुगतान प्रणाली संचालक (पीएसओ) भी शामिल है, को किसी लेन को अवरुद्ध करने, रोक लगाने या ग्रहणाधिकार अंकित करने की सूचना मिलते ही, यह सूचना 24 घंटे के भीतर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी भेजी जानी चाहिए। सूचना न देने पर ऐसी कार्रवाई अमान्य हो सकती है।

च. यदि कोई बैंक उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना पुलिस के अनुरोध पर किसी संस्था/नागरिक द्वारा बनाए गए किसी बैंक खाते या एस्क्रो खाते को रोक देता है, तो बैंक उस संस्था/नागरिक की वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी क्षति सहित दीवानी और आपराधिक परिणामों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

13. उपरोक्त का अवलोकन करने पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि साइबर अपराध के मामले में, जांच अधिकारी को न केवल संबंधित बैंकों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 94/106 के तहत नोटिस जारी करना आवश्यक है, बल्कि उसमें उस राशि का उल्लेख भी होना चाहिए जिस पर ग्रहणाधिकार (लीन) मांगा जा रहा है। ग्रहणाधिकार की मांग की जा रही राशि का उल्लेख किए बिना जारी किया गया सामान्य नोटिस अवैध और मनमाना होगा। इसके अतिरिक्त, जांच अधिकारी को संबंधित साइबर अपराध की सूचना क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को देनी होगी और बैंकों को उस मामले की संख्या से अवगत कराना होगा जिसके आधार पर ग्रहणाधिकार/जमाव की मांग की जा रही है।

14. इनमें से कई मामलों में, हम देख रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं के पूरे खाते पर डेबिट फ्रीज की मांग की जा रही है, जबकि बैंक को वह जल्दी नोटिस नहीं दिया गया है जो जांच अधिकारी द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, संबंधित न्यायालय

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में दर्ज मामलों का विवरण भी बैंकों को नहीं दिया जाता है, और बैंक बदले में उन व्यक्तियों को यह विवरण नहीं दे सकते जिनके खाते फ्रीज किए जा रहे हैं/जिन पर ग्रहणाधिकार स्थापित किया जा रहा है।“

7. हमारी राय में, उक्त फैसले में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार साइबर अपराध विभाग को उस अपराध का विवरण देना स्पष्ट रूप से आवश्यक है जिसके लिए उक्त फ्रीजिंग की जा रही है, और साथ ही उस राशि का भी उल्लेख करना आवश्यक है जिसके लिए यह ग्रहणाधिकार बनाया जाना है। इसके अलावा, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या जांच अधिकारी ने इस विशेष मामले के संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष उचित मामला दायर किया है।

8. उपरोक्त के आलोक में, हम जांच अधिकारी द्वारा अपनाई जा रही उस प्रक्रिया को बनाए रखने और स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जिसमें याचिकाकर्ता का पूरा खाता फ्रीज कर दिया गया है।

9. उपरोक्त के आलोक में, विवादित नोटिस को रद्द किया जाता है और संबंधित बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के खाते को तत्काल डीफ्रीज़ करे और याचिकाकर्ता को सामान्य बैंकिंग गतिविधियाँ करने की अनुमति दे।

10. उपरोक्त निर्देश के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

**25 मार्च, 2026**

सी के एस/-

(न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला) (न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ)

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।